### राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (कार्यालय—बायोफ्यूल प्राधिकरण)

(तृतीय तल, बी-ब्लॉक, योजना भवन, सी-स्कीम, जयपुर, फोन :2220672, 5188104 फैक्स नं:2224754] E-mail: blofuelraj@yahoo.co.in. कमांक :प.5(17)/ग्रावि./बी.एफ.ए./वेस्टलैण्ड/2007-08/ 2/3/ दिनांक 28-02-2013

#### विज्ञप्ति

बायोपयूल प्राधिकरण, राजस्थान द्वारा राज्य में रतनजोत एवं अन्य अखाद्य तैलीय पौधों की खेती, इनके बीज संग्रहण एवं जैव ईधन प्रसंस्करण के अतिरिक्त उन्नत जैव ईधन के रूप में बायोगैस संयंत्रों के निर्माण आधिरत गतिविधियों के प्रचार प्रसार के साथ साथ मनरेगा एंव अन्य योजनाओं के अभिसरण से राज्य में बंजर भूमि एवं चारागाह विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।

इन विभागीय गतिविधियों का सम्प्रेषण जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर तक करने एवं इन गतिविधियों के लक्षित लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुँचाने एवं उनकी क्षमता अभिवर्धन के उद्धेश्य से विभाग द्वारा जिला स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन ऐजेन्सियों का जिलेवार पैनल तैयार करना है।

इस हेतु इच्छुक संगठनों / ऐजेन्सियों से आवेंदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में मय वाछित दस्तावेजों के दिनांक 25.03.2019 को 05.00 बजे तक कार्यालय बायोपयूल प्राधिकरण में आमंत्रित किये जाते है। विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट www.biofuelraj.rajasthan.gov.in प्राप्टे देखा जा सकता है।

(सुर्येन्द्र सिंह राठौड़) सी.ई.ओ. एवं पी.डी. बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 04.03.2019 द्वारा विभागीय गतिविधियों के सम्प्रेक्षण हेतु एन.जी.ओ के माध्यम से किये जाने वाले प्रशिक्षण/क्षमतावर्द्धन कार्यक्रमों हेतु एन.जी.ओ को Empanelled किये जाने के सम्बन्ध में नोट

राजस्थान राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड एवं बायोफ्यूल प्राधिकरण के द्वारा बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का कियान्वयन किया जा रहा है। बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा राज्य में रतनजोत एवं अन्य अखाद्य तेलीय पौधो के पौधारोपण, इनके बीज संग्रहण एवं जैव ईधन प्रसंस्करण आदि के कार्य करवाये जाते हैं साथ ही नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग भारत सरकार की योजना NNBOMP अन्तर्गत बायोगैस के संयत्र भी स्थापित करवाये जा रहे है। उपरोक्त कार्यो / गतिविधियों के जिला/ब्लाक/ग्राम पंचायत स्तर तक सम्प्रेक्षण करने एवं इन गतिविधियों के लक्षित लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहूंचाने एवं बंजर भूमि विकास, चारागाह एवं शामलात भूमि के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण /क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे।

उपरोक्त विभागीय गतिविधियों हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं / ऐजेन्सियों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाने हेतु जिलेवार एन.जी.ओ. / ऐजेन्सियों को Empanelled किया जाना है। इस हेतु राज्य स्तर के समाचार पत्र में विज्ञापन देकर इच्छुक स्वयं सेवी संगठनों / ऐजेन्सियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन—पत्र निर्धारित प्रपत्र एवं निर्धारितं समय में कार्यालय बायोपयूल प्राधिकरण को प्रस्तुत किये जावेगे।

शामलात संसाधनों एवं चारागाह विकास कार्य एवं बायोफ्यूल पौधारोपण कार्य राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर, मनरेगा से अभिसरण कर किया जा रहा है। जिससे राज्य में भूमि एवं जल संरक्षण, चारागाह विकास, पौधारोपण एवं शामलात संसाधानो का रख—रखाव कर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास हो सकेगा। जिससे ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण का लाभ प्राप्त होने के साथ ही ग्राम संस्थाओं के संगठन निर्माण की संरचना एवं ग्रामीण संस्थाओं के रिकार्ड का संधारण इत्यादि सुव्यवस्थित तरीके से हो सकेगा, साथ ही राजस्थान की सार्वजनिक भूमि को बंजर होने से बचाया जाकर आय सृजन एवं रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेगे।

प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों को चयन हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर छटनी की जावेगी। स्वयं सेवी संस्थाओं का जिलेवार पैनल तैयार किया जावेगा, जो कि सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रशिक्षण / क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित करवायेंगे। वित्तिय रुप से सुदृढ़, पूर्व में बंजर भूमि एवं चारागाह विकास, बायोपयूल एवं बायोगैस कार्यक्रम का कियान्वयन एवं प्रशिक्षण आदि का अनुभव रखने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

(Surendes Singh Rathons) CEO & PD. BFA CHIE JS. ROD

# बंजर भूमि एवं चारागाह विकास कार्यक्रम, बायोपयूल एवं बायोगैस गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं क्षमतावर्धन प्रशिक्षण के लिये परियोजना क्रियान्वयन ऐजेन्सियों (गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संस्था) के चयन हेतु उनके द्वारा भरा जाने वाला आवेदन-पत्र

1.	संस्था का नाम
2.	संस्था का पता
	1. मुख्य कार्यालय
	2. शाखा कार्यालय :
	3. सम्पर्क व्यक्ति का नाम
	नः र्रापन, नावाइर्ग नम्बर्
	o. q 101 olig.ol
3.	संस्था का रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करे) संख्या
4.	राखा का जावकर
	अधिनियम में पंजीयन (80 जी, 12 ए) (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करे)
5.	संस्था का पन नम्बर
6.	संस्था का विदेशी नियम अधिनियम
	(एफ.सी.आर.ए) में पंजीयन (फोटो प्रति संलग्न करे)
7.	तस्था का नित आयाग क
	साथ पंजीकरण नम्बर
8.	संस्था का सविधान (विधान पत्र एवं नियमावली की पति संस्था को)
9.	राखा का कावकराणा (प्रबन्ध सामात की नतीननम सनी)
10.	
11.	יייי אין אוידוען גען עקטווצטן מסן אודוו
12.	का नामक रिनाट (विचेत तान वर्ष)
13.	गरम र राज्य सम्बद्धा सूचना.
	1. पे- रोल पर कार्यरत नियमित कार्मिको कीसंख्या
	(सूची संलग्न करें योग्यता एवं अनुभव के साथ)
	2. संस्था में पे-रोल पर कार्यरत विषय विशेषज्ञो की
	संख्या (उनकी योग्यता, अनुभव तथा उनके द्वारा पिछले
	वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण सहित सूचि)
	ज. सामाजिक दोत्र, एस.एय.जा. निर्माण बायाफ्यल एत बागोगीय कार्यक्य किला कर्
4.	निपुण विशेषज्ञों की संख्या (सूची संलग्न करें) संस्था द्वारा प्रस्तावित जिलों में क्षमतावर्धन हेतु पूर्व
-	में कियान्वित किये गयी परियोजनाओं का विवरण
5.	संस्था द्वारा क्षमतावर्धन / प्रशिक्षण क्षेत्र मे वाह्य सहायता
	प्राप्त परियोजनाओं का विवरण— परियोजना का विवरण
	रिजेन्सी का नाम स्वीकृति का वर्ष केन न्यान के कि
	(ऐजेन्सी का नाम, स्वीकृति का वर्ष, क्षेत्र, स्वीकृत राशि आदि का विवरण देवे)
5.	संस्था के स्थापित करने का उद्देश्य,
	दृष्टि एवं लक्ष्य
	संस्था द्वारा प्रस्तुत कार्यानुमव सम्बन्धी प्रमाण पत्र



18.	संस्था के मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रति सलग्न करे)
19.	संस्था की पूर्व व वर्तमान,
	गतिविधियों सम्बन्धित दस्तावेज
20.	संस्था का किसी भी सरकारी, गैर सरकारी संस्था में काली
	सूची में नही होने का प्रमाण पत्र
21.	संस्थान के कार्यों से सम्बन्धित अखबार की प्रतियां
22.	संस्था की विवरणिका एवं प्रकाशन
23.	प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित जिलों का
	प्राथमिकता के आधार पर विवरण
24.	अन्य विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर मय सील

### गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संस्था द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएं :-

- 1. पंजीकरण पत्र संविधान / मेमोरेन्डम ऑफ ऐसोसियेशन।
- वैधानिक स्थिति व सोसायटी पंजीयन अधिनियम/सहकारिता अधिनियम/धमार्थ तथा धार्मिक न्यास अनिधिनियम 1920/कम्पनी अधिनियम 1950 का भाग 25 के अन्तर्गत पंजीयन के प्रमाणित पंजीयन पत्र/यदि आवश्यक हो तो आयकर अधिनियम व एफ.सी.आर.ए के अन्तर्गत पंजीयन
- 3. पदाधिकारी, न्यायी, शासकीय परिषद के सदस्यों के व्यवसाय व पते संगठन से जुड़ने की दिनांक तथा पदाधिकारियों, सदस्यों के साथ उनके परिवारिक सम्बन्ध की सूची। दो से अधिक सदस्यों का आपस में पारिवारिक रिश्ता नहीं होना चाहिए।
- 4. विगत 3 वर्षों के आडिटेड खाते।
- 5. सम्पत्ति व देनदारियों की चार्टर्ड अकाउण्टेन्ठ से प्रमाणित प्रति
- विगत 3 वर्षों की गतिविधियों, को वार्षिक रिपोर्ट जिसमें क्षमता वर्धन क्षेत्र सम्बन्धित विशेष उल्लेख हो।
- स्टाफ की सूची, योग्यता, अनुभव, उन्हें आवंटित कार्यो के साथ।
- विशेषज्ञों की सूची जिसमें उनकी योग्यता, अनुभव तथा उनके द्वारा किये गये पिछले कार्य का विवरण हो। (बंजर भूमि एवं चारागाह विकास, बायोफ्यूल एवं बायोगैस के क्षेत्र में स्पष्ट उल्लेख करें)
- संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य, दृष्टि, लक्ष्य आदि।
- 10. पदाधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मामलों में दोष प्रमाणित होने या न्यायालय में लिम्बत मुकदमों की सूची (संगठन का अध्यक्ष, प्रधान, शासकीय निकाय सदस्य, कार्यकारी निकाय सदस्य देश के किसी न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं होने चाहिए)
- 11. संगठन का अध्यक्ष, प्रधान, शासकीय निकाय सदस्य, कार्यकारी निकाय के विरूद्ध न्यायालय में बकाया मुकदमों का विवरण।
- 12. संगठन या उसके मुख्य कार्यकारी के विरूद्ध विगत में किसी सरकार या अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी के द्वारा काली सूची में डालने या कार्यवाही होने की सूचना।
- 13. पूर्व में किये गये कार्यों का मूल्यांकन प्रमाण पत्र विशेषकर तटस्थ संस्था द्वारा जारी हो।
- 14. संगठन यदि एफ.सी.आर.ए. के अन्तर्गत पंजीकृत है तो इसकी सूचना मय प्राप्त राशि व किये गये कार्यों के।
- 15. संगठन उनकी चालू गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करेगें।
- 16. अन्य (जो आवेदक संलग्न करना चाहे)

हस्ताक्षर आवेदक

## Mandatory criteria for selection of NGO's

S.no	Citteria to be given weight age for short listing
1	The number of years of existence and operation of the organization beyond the minimum requirement of three years (Registration certificate to be enclosed). Mark would be awarded as follows:
	would be awarded as follows:
	Tot
	3-6 years:
	7-10 years:
2	Manually 40
2	The number of project funded by Central Government Ministries/Departments an implemented by the organization for training exclusively. Marks would be awarded a follows:
	Total
	5-10:
	11-15:1
3	La contraction de la contracti
3	The number of project funded by Central Government Ministrice /D
	implemented by the organization for Waste Land and Pasture Development, Biofuel & Biogas exclusively. Marks would be awarded as follows:
	Tota
	1-2 project:2
	3-5 project:4
4	
	The number of project funded by State Government Ministries/Departments and implemented by the organization for training of Waste Land and Pasture Development Biofuel & Biogas exclusively. Marks would be awarded as follows:
	Total
	5-10 project:2
	11-15 project:4
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	The number of person trained by the organization during last 3 (three) years in the project funded by Central /state Government. Marks would be awarded as follows:
	Total
	300-2000 person :4
	2001-4000 person :7
	NACULAL SALES AND CONTROL OF THE PROPERTY OF T
	Performance evaluation report by a recognized independent agency in last 3 (Three) years, particularly with respect to implementation of development projects for Waste Land and Pasture Development the agency can be a University/Institution recognized by UGC, a National Institute of the Government, or a institution known for excellence like Tata Institute of Social Sciences, XLRI, IRMA, etc performance report does not mean ISO Certification or and inspection report of a Government Official. (Executive Summary of the Report duly signed and stamped by the authorized signatory of institution to be Enclosed). Marks would be awarded as follows:
	Total
	yes:10
	Ves.10
	No:0

7	The number of projects implemented by the organization for Waste Land and Pastur Development, Biofuel & Biogas exclusively in the District, where it proposes to implement the project and development.
	implement the project under capacity building. Marks would be awarded as follows:
	Tota
	1-2 project:
	3-5 project:
•	More than 5 projects
8	Financial viability of the Organization: Quantum of funds operated by the organization in the three years. The average of Expenditure of last 3(three) years be the organization would be taken up to assess the viability. The Audited accounts with Auditors report for past 3 years to be enclosed. Marks would be awarded as follows:
	Rs. 5.00 lakh to Rs. 25.00 lakh :5
	More than Rs. 25.00 lakh to Rs. 100 lakh:8
	More than Rs. 100.00 lakh to Rs. 150. lakh:10
9	The number of regular graduate/post graduate (on the pay roll of the organization)
	key personnel working in the organization, involved in implementation of project.  Marks would be awarded as follws:
	Total
	7-15:3
	16-25:5
10	025.7
	The number of graduate/post-graduate field workers/facilitators (regular employees on the pay roll of the organization) working of implementation of related projects in the organization. List to be enclosed. Marks would be awarded as follows:  Total 3-7:5
	8-15:7
1	The number of Francis II
	The number of Expert Hand-holding Staff who should be post-graduate and specialized in the field of social sector and self help group formation (regular employees on the pay roll of the organization) in the organization. List to be Enclosed. Marks would be awarded as follows:
	Total
	1-3 staff :3
	3-4 staff :4
-	More than 5 66 5
2	The number of Externally Aided projects or United Nations funded
	by the organization (sanction orders to be enclosed). Marks would be awarded as follows:
	Total
	1-2 project :4
	3-4 project :7
	Over 4 :10